

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर

पत्रांक-1096/14-1(FP/UP/Road/146591/2021) दिनांक, मुजफ्फरनगर, 29.09.2022 ।
सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-1
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर।

विषय:- जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग(एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनेज 2.290से कि0मी0 5.000 तक दोनो पट्टी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन / ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक- 8वी0/यू0पी0/06/21 /2022/एफ0सी0/523 दिनांक-21.09.2022 ।

महोदय,

जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग(एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनेज 2.290से कि0मी0 5.000 तक दोनो पट्टी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-21.09.2022 जो मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ आपको पृष्ठांकित भी है, के द्वारा विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-1) जारी की गयी है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-21.09.2022 में उल्लिखित शर्त संख्या-3 व शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है-

मैं क्षतिपूरक वनीकरण एवं वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशियाँ की आकलन निम्नाशुसार है						
1-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि-						
शर्त संख्या	प्रभाग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है०में)	दर	धनराशि (रू०में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण	
1	2	3	4	5	6	
शर्त संख्या-3	शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर	4.0 है० अवनत वन भूमि (कुल चयनित क्षेत्र 5.0है० एवं वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित क्षेत्र 4.00 है०)पर वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि		1546119.00	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से	
2- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि (भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/ 2011- एफ०सी०(VOI-1) दिनांक-06.01.2022 के अनुपालन में बढी हुई एन०पी०वी० (नई दर)						
शर्त संख्या-4	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	1.8970है०	957780.00 प्रति है०	1816909.00		
		योग-		3363028.00		

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक-21.09.2022 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-3 के अनुपालन में 4.0 है0 अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु धनराशि रुपये-1546119.00 (रुपये पन्द्रह लाख छियालीस हजार एक सौ उन्नसी मात्र) एवं शर्त संख्या-4 के अनुपालन में 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्धवर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रुपये-1816909.00 (रुपये अट्ठारह लाख सोलह हजार नौ सो नौ मात्र), कुल योग-3363028.00

क्रमशः2

(रूपये तैतीस लाख तिरेसठ हजार अट्ठाईस मात्र) की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए जमा कराने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 21.09.2022 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 26 तक की अनुपालन आख्या / प्रमाण पत्र / वचनवद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 1096/14-1 (FP/UP/Road/146591/2021) दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ ।
- 2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-21.09.2022 (सैद्धान्तिक स्वीकृति) की शर्त संख्या-02, 03 एवं 22 के क्रम में।
- 4-क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-11, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rmez.lko-mef@nic.in

पत्र सं०-8बी/यूपी./06/21/2022/एफ.सी./523

दिनांक: 21.09.2022

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ 2090।

Online Proposal No. FP/UP/Road/146591/2021

विषय: जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-955/11-सी-FP/UP/Road/146591/2021, लखनऊ, दिनांक-12.09.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं०-पी-27/81-2-2022-800(06)/2022, लखनऊ, दिनांक-04.02.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद मुजफ्फरनगर में लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के किमी0 चैनेज 2.290 से किमी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 4 ha. degraded forest land in Budhavan Forest Block, Compartment No. 1A, Mohand Range, Shiwalik Forest Division Saharanpur at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 1.8970 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

P.D.

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. User agency shall restrict the felling of trees to 637 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
9. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
11. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

22. Revised boundary maps of Rajaji National Park shall be sent to FSI for updating in DSS.
23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
26. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. अति० मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
5. अधीनकारी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

21.09.2018

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

Proposal No- FP/UP/Approach/ 146591 /2021

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) forest Land Proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and strengthening of Muzaffarnagar - Jansath - Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000 (Both Side) in Theshil & district Muzaffarnagar (UP)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के शासनादेश संख्या- 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक-06.01.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-2049/11 सी०-गाइड लाईन दिनांक-07.01.2022 के क्रम में प्रस्तावित वन भूमि की एन०पी०वी० (शुद्धवर्तमान मूल्य) की गणना-

वन भूमि के शुद्धवर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना-

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1- | हरियाली घनत्व- | 0.3 |
| 2- | इको क्लास श्रेणी-III (Tropical Dry Deciduous Forest) | |
| 3- | एन०पी०वी० की दर प्रति है० | रुपये-957780.00 |
| 4- | आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- | 1.8970 है० |
| 5- | कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि रुपये- | 1816909.00 |

1/ 06.01/2022
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
(कन्हैया पटेल)
मुजफ्फरनगर निदेशक
मुजफ्फरनगर

प्राप्तकाल

कार्य का नाम

- अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण एवं अनुवर्ती 10 वर्षों तक वृक्षारोपण अनुसंधान। कार्य स्थल- बुढ़दावन-1ए(पूर्वी बीट)
रेंज-मोहण्ड सकल एवं शुद्ध क्षेत्रफल- 5.00 शुद्ध क्षेत्रफल 4.00 हे० वन भूमि हस्तान्तरण परियोजना का नाम -लोक निर्माण
विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-गीरापुर मार्ग (एस०एच-12) के कि०मी० चनेज 2,
290 से कि०मी० 5.00 तक दोनों पट्टी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं
परियोजना में बाधक 637 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लांट की अनुमति। " On line proposal No. FP/UP/Road
/146591/2021" जी०पी०एस०-
30°9'33.35" E 77°53'47.71"N 30°9'32.16" E 77°53'7-94"
N 30°9'25.34" E 77°52'59.51"N 30°9'18.56" E 77°52'51.00"N 30°9'17.17" E 77°52'53.63"

कार्य योजना के कार्य वृत्त का नाम जिससे क्षतिपूर्क वृक्षारोपण क्षेत्र आच्छादित है:- वृक्षारोपण कार्य वृत्त।

क्र०स०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	धनराशि(रु.में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य	प्रति हे०	5	96	480	वन 1.1
2	स्थल की सफाई, लैण्डाना ग्रस्त क्षेत्रों एवं अत्यन्त घनी झाड़ियों वाले क्षेत्रों की सफाई	प्र० हे	5	3975	19875	वन 2.5
3	पक्कि बन्धन/निशान देही	प्र० गद्दा	4400	0.4	1760	वन 3.2
4	गद्दा खुदान कार्य (कंकरीली पथरी मिट्टी में)				0	
5	सुरक्षा खाई हेतु निशान देही	प्रति मी०	4400	10.97	48268	वन 4.11.2
	(.45x.45x.45)मी० साइज	प्रति मी०	350	0.45	157.5	वन 3.3
6	वृक्षारोपण सुरक्षा खाई खुदान कंकरीली पथरीली मिट्टी साइज (1.20x1.00x0.90) मीटर	प्रति मी०	350	83	29050	वन 4.2.2
7	पौध उगान कार्य 5 प्रतिशत अतिरिक्त (समस्त सामग्री एवं श्रमांश सहित)	प्रति पौध	4620	7	32340	
	योग				131930.5	
8	10% Escalation for inflation				13193.05	
	योग				145123.6	
	वृक्षारोपण (द्वितीय चरण)					
1	गद्दा भरान, कीटनाशक एवं गोबर की खाद मिलाकर					
2	साइज 0.45x0.45x0.45)मी०	प्रति गद्दा	4400	1.7	7480	वन 5.2.1
3	सुरक्षा खाई की दरेशी एवं 2 लाइनो में बीज बोना	प्र०मी०	350	7.61	2663.5	वन 6.1.3
4	बीज का मूल्य	कि०ग्रा०	45	100	4500	
5	पौध का ढलान दूरी 20 से 30 कि०मी० 05 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति पौध	4620	3.54	16354.8	वन 9.2
6	दुर्गम स्थलों पर सरवेय से ढलान (0 से 1 कि०मी० तक)	प्र०पौध	4620	0.75	3465	वन 9.5
7	पौध रोपण थाला वनवायी व तुरन्त सिंचाई सहित	प्र०पौध	4400	5	22000	वन 10.1.2
8	वृक्षारोपण श्रमिक का पारिश्रमि (जुलाई से मार्च तक)		270	201	54270	शासनादेश के अनुसार
9	निराई गुड़ाई 2 बार 4400x2=8800पौध	प्रति पौध	8800	1.4	12320	वन 11.1.1

10	पौधों की सिंचाई हेतु गढ़वा खुदान कार्य साइज (2x1.5x1.5मी0) 5गढ़वे =22.5cm1	प्रति घ0मी	22.5	78	1755	
11	सुरक्षा खाई पर पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (350x3=1050 मी0)	प्रति मी0	1050	1.4	1470	वन 11.1.2
12	पौधों की थावला बन्दी एवं गिट्टी चढ़ाना एवं थावला बन्दी 02 बार (4400x2=8800)	प्र0पौध	8800	0.9	7920	वन 12
13	वृक्षारोपण बोर्ड साइज (4x3 फुट)	प्रति हे0	1	5000	5000	
14	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 70प्रतिशत क्षेत्र में)	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
	योग				155648.3	
15	10% Escalation for inflation				15564.83	
	Total				171213.1	

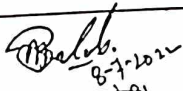
	वृक्षारोपण अनुरक्षण, प्रथम वर्ष (तृतीय चरण)					
1	बीटिंग अप हेतु गढ़वों की मिट्टी ढीली करना	प्रति गढ़वा	440	3.7	1628	वन 18.1
2	बीटिंग अप हेतु पौध का कय / विकास मझली पौध (विभागीय पौधशाला से) 5 प्रतिशत अति0	प्रति पौध	462	7	3234	
3	बीटिंग अप हेतु थैली पौध का दुलान 21 से 30 किमी दूरी से 5 प्रतिशत अति0	प्रति पौध	462	3.54	1635.48	वन 9.2
4	बीटिंग अप हेतु असफल गढ़वों में रोपण, (थैली पौध)	प्रति पौध	440	5	2200	वन 18.2.2
5	पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
7	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी0	350	10	3500	वन 4.3.1
8	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई 70प्रतिशत क्षेत्र में)	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
9	10प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र0पौध	440	3.15	1386	वन 15.1
	योग		0		120873.48	
	योग				12087.35	
10	10% Escalation for inflation				132960.8	
	Total					

	वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (चतुर्थ चरण)					
1	पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी0	350	10	3500	वन 4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5	20 प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र0पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
	योग				110790	
	योग				11079	
6	10% Escalation for inflation				121869	
	योग					
	वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष (पंचम चरण)					
1	पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी0	350	10	3500	वन 4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5	20 प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र0पौध	880	4.7	4136	वन 15.2

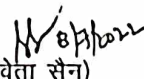
योग				110790	
6 10% Escalation for inflation				11079	
Total				121869	
वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (षष्ठम चरण)					
1 पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2 वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3 सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4 अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5 20 प्रतिशत पौधों की प्रुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
योग				110790	
6 10% Escalation for inflation				11079	
Total				121869	
वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष (सप्तम चरण)					वन 11.1.1
1 पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2 वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3 सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4 अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5 20 प्रतिशत पौधों की प्रुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
योग				110790	
6 10% Escalation for inflation				11079	
Total				121869	
वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष (अष्टम चरण)					वन 11.1.1
1 पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2 वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3 सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4 अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5 20 प्रतिशत पौधों की प्रुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
योग				110790	
6 10% Escalation for inflation				11079	
Total				121869	
वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष (नवम चरण)					वन 11.1.1
1 पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2 वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3 सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4 अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5 20 प्रतिशत पौधों की प्रुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
योग				110790	
6 10% Escalation for inflation				11079	
Total				121869	
वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (दशम चरण)					वन 11.1.1
1 पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1

2	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5	20 प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
	योग				110790	
6	10% Escalation for inflation				11079	
	Total				121869	
	वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम् वर्ष (एकादश चरण)					
1	पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5	20 प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
	योग				110790	
6	10% Escalation for inflation				11079	
	Total				121869	
	वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष (द्वादश चरण)					
1	पौधों की निराई गुड़ाई 03 बार (4400x3=13200)	प्रति पौध	13200	1.4	18480	वन 11.1.1
2	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	प्रति दिन	360	201	72360	
3	सुरक्षा खाई मरम्मत	प्रति मी०	350	10	3500	वन 4.3.2
4	अग्नि से बचाव हेतु घास सफाई	प्रति है	5	3290	16450	वन 16
5	20 प्रतिशत पौधों की पुनिंग	प्र०पौध	880	4.7	4136	वन 15.2
	योग				110790	
6	10% Escalation for inflation				11079	
	Total				121869	

	सारांश	145124
1	प्रथम चरण- अग्रिम मृदा कार्य	171213
2	द्वितीय चरण- वृक्षारोपण कार्य	132961
3	तृतीय चरण- वृ०रो० अनुरक्षण - प्रथम वर्ष	121869
4	चतुर्थ चरण -वृ०रो० अनुरक्षण - द्वितीय वर्ष	121869
5	पंचम चरण -वृ०रो० अनुरक्षण -तृतीय वर्ष	121869
6	षष्ठम चरण -वृ०रो० अनुरक्षण -चतुर्थ वर्ष	121869
7	सप्तम चरण-वृ०रो० अनुरक्षण -पंचम वर्ष	121869
8	अष्टम चरण-वृ०रो० अनुरक्षण -षष्ठम वर्ष	121869
9	नवम चरण -वृ०रो० अनुरक्षण -सप्तम वर्ष	121869
10	दशम चरण-वृ०रो० अनुरक्षण -अष्टम वर्ष	121869
11	इकादश चरण - वृ०रो० अनुरक्षण -नवम वर्ष	121869
12	द्वादश चरण - वृ०रो० अनुरक्षण -दशम वर्ष	121869
	Total	1546119


 8-3-2022
 (मनोज कुमार बलोदी)
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 मोहम्मद रैण

17/4/22
 (कन्हैया पटेल)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक यात्रिकी प्रभाग
 मुजफ्फरनगर


 (रवेता सैन)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 शिवालिक वन प्रभाग
 सहारनपुर